झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः– राजस्व संवर्द्धन, अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं मदिरा के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त मदिरा उपलब्ध कराये जाने के उद्धेश्य से मदिरा के बोतलों/सैचेट्स/कैनस पर चिपकाये जानेवाले एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति, मनोनयन के आधार पर लब्धप्रतिष्ठित प्रतिष्ठान भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्र से प्राप्त करने के संबंध में ।

राजस्व संवर्द्धन, अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से झारखण्ड उत्पाद (होलोग्राम) नियमावली, 2011 का गठन किया गया था । इस नियमावली के तहत होलोग्राम की आपूर्त्ति करने के लिए विभाग द्वारा दो बार निविदा प्रकाशित की गई थी, परन्तु निविदा की प्रक्रिया को दोनों बार निरस्त करना पड़ा । इसी बीच भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्र द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्त्ति करने का प्रस्ताव विभाग को दिया गया । भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वर्त्तमान में एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल पंजाब राज्य के उत्पाद विभाग को आपूर्त्ति की जा रही है तथा यदि झारखण्ड राज्य भी एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से आपूर्त्ति प्राप्त करने का निर्णय करता है, तो वे एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्त्ति करने के लिए तैयार हैं ।

दिनांक–24.03.2015 को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रबन्धक (तकनीकी) के साथ विभागीय पदाधिकारियों एवं एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के संबंध में तकनीकी रूप से विशेष ज्ञान रखनेवाले वैज्ञानिक डॉ० भनीष कुमार के साथ बैठक की गई । बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रतिनिधि के द्वारा झारखण्ड राज्य को सुरक्षा मानकों से युक्त एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति हेतु आश्वस्त किया गया । साथ ही भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सभी एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल, नासिक रोड, महाराष्ट्र स्थित उनके सिक्यूरिटी प्रेस में ही मुद्रण कराया जाएगा ताकि अधिकतम गोपनीयता रखी जा सके ।

अतः उक्त के आलोक में उत्पाद राजस्व संवर्द्धन, अवैध शराब बिक्री की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं के शोषण पर रोक के उद्धेश्य से देशी शराब/मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब के बोतलों/सैचेट्स/कैनस पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने हेतु निम्न प्रकार से राज्य सरकार ने निर्णय लिये हैं :–

1– राजस्व हित, मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम–245 के अधीन वित्तीय नियमावली के नियम–235 को शिथिल करते हुये मनोनयन के आधार पर भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्रा से झारखण्ड राज्य में बिक्री किये जानेवाले बोतलों/सैचेट्स/कैनस पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने हेतु प्राप्त किया जाए ।

2– झारखण्ड उत्पाद होलोग्राम (संशोधित) नियमावली, 2014 को शिथिल करते हुए 'भारत प्रतिभूति मुद्रणालय' से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल प्राप्त किया जाए ।

3– भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा निर्मित एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को झारखण्ड राज्य में देशी शराब, मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब के थोक बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त अनुज्ञाधारी (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड) द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा मूल्य का भुगतान भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा ।

4– **भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन), नासिक रोड, महाराष्ट्रा के माध्यम से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल प्राप्त करने तथा इसके मदिरा के बोतलों पर चिपकाये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–**

(i) इस व्यवस्था के तहत भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को की जाएगी, तदुपरान्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को मदिरा के बोतल/सैचेट/कैन पर चिपकाने के लिए सभी वितरकता अनुज्ञप्तिधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञप्तिधारी को उनके माँग के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएगी । वितरकता अनुज्ञप्तिधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञप्तिधारी स्वयं के जोखिम पर इसे अपने विनिर्माणशाला में भेजकर मदिरा के बोतल/सैचेट/कैन पर चिपकवा सकेगें ।

(ii) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की तकनीकी विशिष्टियों के निर्धारण हेतु इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस के पदाधिकारी एवं विभाग द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की बैठक आयुक्त उत्पाद की अध्यक्षता में की जाएगी । तकनीकी विशिष्टियों के संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा । समय–समय पर विभाग द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के परामर्श के अनरूप एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की तकनीकी विशिष्टियों में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा । इसी बैठक में एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का अंतिम मूल्य भी निर्धारण किया जायेगा ।

(iii) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के सुरक्षित रख–रखाव के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अलग से 'एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार' किराये पर अथवा किसी

1
2

अन्य व्यवस्था के तहत जिसे प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड उचित समझें, स्थापित किया जाएगा । यह भण्डागार झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो प्रबन्धक स्तर के पदाधिकारी एवं अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के संयुक्त प्रभार में रहेगा । सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में दोहरे ताले की व्यवस्था रहेगी, जिसमें एक ताला विभागीय प्रभारी पदाधिकारी एवं एक ताला डिपो प्रबन्धक का रहेगा । भण्डागार में सुरक्षा की व्यवस्था हेतु झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से सम्बद्ध सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा की जाएगी । झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा जिला पुलिस से जिला सशस्त्र बल (1 + 4) की प्रतिनियुक्ति करायी जाएगी एवं इस संबंध में आवश्यक खर्च का भुगतान झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा । एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के भण्डागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु कर्मियों की नियुक्ति झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जाएगी ।

(iv) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन), नासिक रोड, महाराष्ट्रा को झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आपूर्त्ति आदेश दिये जाने पर करार–पत्र में अंकित समयावधि के अन्दर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में आपूर्त्ति सुनिश्चित करायी जाएगी । भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के नासिक स्थित मुद्रणालय से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो प्रबन्धक को प्राधिकृत किया जाएगा । आपूर्त्ति प्राप्त करने के पूर्व, मार्ग में एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की सुरक्षा व्यवस्था हेतु झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा जिला सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से सुनिश्चित करायी जाएगी । भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक से प्राप्त एक्साईज एडेसिव लेबल का सुरक्षित भण्डारण झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में प्रतिनियुक्त विभागीय उत्पाद पदाधिकारी एवं डिपो प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा ।

(v) नासिक स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति का मूल्य झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भुगतान किया जाएगा । नासिक से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार तक का आवश्यक परिवहन एवं अन्य अनुमान्य खर्च भी झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वहन किया जाएगा । एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का आपूर्त्ति मूल्य, इसके परिवहन एवं भण्डारण से संबंधित खर्च सहित को, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वितरकता अनुज्ञाधारियों एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार

अनुज्ञाधारियों से इनके द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आवश्यकता की अधियाचना पत्र के साथ ही अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा ।

(vi) नासिक स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में, झारखण्ड राज्य में बिक्री किये जानेवाले मदिरा बोतलों/सैचेट्स/कैन्स के ऊपर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने हेतु समुचित मात्रा (कम–से–कम चार महीने तक की आपूर्त्ति हेतु आकलित) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को रखना आवश्यक होगा । झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की अबाधित आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के लिए सदैव एक महीने के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का स्कन्ध शेष रहते ही अगले चार माह के लिए एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से प्राप्त कर लेगा ।

(vii) वितरकता अनुज्ञाधारियों एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञाधारियों को एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्गमन, एक्साईज एडेसिव लेबल भण्डागार के डिपो प्रबन्धक एवं प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, किया जाएगा । अपवाद स्वरूप जब एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार के डिपो प्रबन्धक एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति प्राप्त करने के लिए नासिक जायेंगे तब केवल एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के हस्ताक्षर से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्गमन दिया जा सकेगा । वितरक अनुज्ञाधारियों एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञाधारियों से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की विनिर्माणशाला में आपूर्त्ति हेतु अधियाचना प्राप्त होने पर डिपो प्रबन्धक, प्रभारी पदाधिकारी एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार दो कार्य दिवस के अन्दर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति सुनिश्चित कर देंगे ।

(viii) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार से, एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञाधारी अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटो युक्त पहचान पत्र, एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार के डिपो प्रबन्धक को समर्पित करेंगे । प्रत्येक वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञाधारी अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित कर डिपो प्रबन्धक को समर्पित करेगा ताकि निर्गमन के पूर्व इसका मिलान किया जा सके । फोटो एवं हस्ताक्षर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्गमन दिया जाएगा । वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञाधारी किसी एक ही व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं । प्राधिकृत प्रतिनिधि के बदले जाने हेतु महाप्रबन्धक (संचालन), झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का अनुमति आवश्यक होगा ।

(ix) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के भण्डागार से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्गमन प्राप्त करने के उपरान्त इसकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेवारी संबंधित वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञाधारी की होगी । एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को बोतलों पर चिपकाने के लिए प्राप्त किये गये एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की संख्या का कुल एक प्रतिशत ही क्षति अनुमान्य होगा । इससे अधिक की क्षति होने पर मदिरा की अधिकतम माप की भराई वाली बोतलों/सैचेट्स/कैन के अनुसार एल0पी0लीटर अथवा बल्क लीटर की दर से अनुमान्य उत्पाद कर की राशि क्षति स्वरूप अधिरोपित किया जाएगा ।

एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने के क्रम में हुई क्षतिग्रस्त एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञाधारी के द्वारा संग्रहित किया जाएगा एवं इसे एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का अगला निर्गमन प्राप्त करने के पूर्व झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूर्ण विवरणी के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा । क्षतिग्रस्त एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को आयुक्त उत्पाद की अनुमति प्राप्त कर महाप्रबन्धक (संचालन) के समक्ष एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार के डिपो प्रबन्धक एवं प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जलाकर विनष्ट किया जाएगा ।

(x) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों को मदिरा की आपूर्त्ति हेतु सभी बोतलों/सैचेट्स/कैन्स पर चिपकाने की कार्रवाई वितरकता अनुज्ञप्तिधारियों एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञप्तिधारियों की होगी । इनके द्वारा प्रत्येक प्रकार के माप के बोतलों एवं मदिरा के लिए निर्धारित विभिन्न विशिष्टियों एवं रंगों वाले एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाया जाएगा । एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के रंग एवं माप के संबंध में निर्णय आयुक्त उत्पाद के द्वारा अलग से आदेश निर्गत करके किया जाएगा, जिसे समय–समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा परिवर्त्तित किया जा सकेगा ।

(xi) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के द्वारा विभाग द्वारा, निर्धारित एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की तकनीकी विशिष्टियों एवं शर्त्तों के अनुरूप एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति की जाएगी ।

(xii) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्त्तिकर्त्ता (भारत प्रतिभूति मुद्रणालय) को एक वित्तीय वर्ष के लिए एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्त्ति की अनुमति प्रदान की जा सकेगी तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अतिरिक्त अवधि विस्तार की जा सकेगी । अवधि विस्तार के संबंध में विभाग द्वारा सम्यक रूप से विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा ।

(xiii) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से प्राप्त एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का वितरकता अनुज्ञाधारियों एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञाधारियों को आपूर्त्ति का मूल्य आयुक्त उत्पाद की सहमति के उपरान्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

(xiv) वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञाधारी, एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्धारित मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से बनाएगा अथवा आर0टी0जी0एस0 के द्वारा इसका भुगतान उनके द्वारा किया जाएगा ।

(xv) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के एक रील अथवा शीट में कितना एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल रखा जाएगा का निर्धारण समय–समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जाएगा तथा आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति रील अथवा शीट की संख्या के गुणक में किया जाएगा । इसी प्रकार वितरकता अनुज्ञप्तिधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की माँग रील/शीट की संख्या के गुणक में ही की जाएगी ।

(xvi) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को प्राप्त करने, उसके समुचित रख–रखाव, सुरक्षा, आपूर्त्ति एवं अन्य दैनिक विषयों के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड सामान्य निदेश/अनुदेश जारी कर सकेगें ।

(xvii) बोतलों के ढक्कन पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल इस प्रकार चिपकाया जाएगा कि आधा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल ढक्कन एवं आधा बोतल पर लगा रहे । सैचेट एवं कैन पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल इस प्रकार चिपकाया जाएगा कि उक्त एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल मदिरा के उपभोक्ता को दृष्टि सुलभ हो साथ ही मुख्य लेबल पर न हो ।

(xviii) आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के निर्माण, रख–रखाव, संग्रह, उपयोग, परिवहन तथा सुरक्षा एवं अन्य कोई विषय जो आयुक्त उत्पाद उचित समझें के संदर्भ में विशेष निर्देश/अनुदेश अथवा स्थायी आदेश जारी किये जा सकेगें तथा आपूर्त्तिकर्त्त एवं आपूर्त्ति प्राप्तकर्त्ता को इसका अनुपालन करना होगा ।

(xix) विशेष परिस्थिति में (अपवाद स्वरूप) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्त्ति बाधित होने पर आयुक्त उत्पाद बिना एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के भी मदिरा के बोतलों/सैचेट्स/कैन की आपूर्त्ति की अनुमति राजस्व हित में दे सकेगें ।

(xxi) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के संधारण हेतु विविध प्रकार के प्रपत्रों एवं पंजियों का गठन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जाएगा तथा समय–समय पर उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा । एक्साईज

एडेसिव (आसंजक) लेबल के रील अथवा शीट के परिवहन हेतु एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल रिमूभल पास के प्रपत्र का गठन भी आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जाएगा ।

(xxii) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की सामयिक आपूर्त्ति न करने अथवा विशिष्टियों के अनुरूप एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल प्रेषित नहीं करने पर किसी समय कार्यादेश वापस लिया जा सकेगा ।

(xxiii) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय को एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के परेषण का पूर्ण भुगतान परेषणी के स्थल पर पहुँचने के बाद किया जाएगा ।

यह संकल्प झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सतेन्द्र सिंह)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–1/नीति–40–1/2013 (खण्ड) 1848 राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–1/नीति–40–1/2013 (खण्ड) 1848 राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, एन0आई0सी0 सेन्टर राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना का राजकीय गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित करने की कृपा करें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–1/नीति–40–1/2013 (खण्ड) 1848 राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/स्टैडिंग कौन्सिल, झारखण्ड राज्य/माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/सदस्य सचिव, राज्य विधि आयोग, झारखण्ड/मुख्य सचिव, झारखण्ड के संयुक्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सभी उपायुक्त/प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

सचिव–सह–आयुक्त उत्पाद–सह–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2015 को होलोग्राम के भण्डारण, सुरक्षा, रख रखाव, वितरण एवं अन्य व्यवस्था स्थापित करने हेतु बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

1.	डॉ0 सुनील कुमार सिंह, सचिव–सह–आयुक्त उत्पाद–सह– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची।	अध्यक्ष
2.	श्री रणजीत कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक (संचालन), झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची।	सदस्य
3.	श्री कमलाकान्त गुप्ता, महाप्रबंधक (वित्त), झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची।	सदस्य
4.	श्री गजेन्द्र कुमार सिंह, उपायुक्त उत्पाद (मु0)।	सदस्य

आज दिनांक 11.03.2015 को सचिव–सह–आयुक्त उत्पाद–सह–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची की अध्यक्षता में होलोग्राम के भण्डारण, सुरक्षा, रख रखाव, वितरण एवं अन्य व्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

1) **भण्डारण** – भण्डारण के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से तय हुआ कि 5000 Sq.ft का एक गोदाम खोज कर रखा जाय, जिसमें कार्यालय के लिए अलग जगह हो तथा सशस्त्र बल रहने की सुविधा हो, जिसमें बिजली, पानी एवं शौचालय तथा ब्रॉड बैन्ड की सुविधा अपेक्षित है।

2) **वज्रगृह का प्रभार** – वज्रगृह के प्रभार के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एक डिपो प्रबंधक तथा एक उत्पाद निरीक्षक संयुक्त रूप से प्रभार में रहेंगे। ये सभी प्रकार के पंजियों का संधारण करेंगे।

3) वज्रगृह सुरक्षा के लिए Double lock system होगा जिसमें एक चाभी डिपो प्रबंधक, JSBCL, राँची तथा दुसरा प्रभारी डिपो प्रबंधक–सह निरीक्षक उत्पाद के पास रहेगा।

4) **सुरक्षा** – वज्रगृह को सुरक्षित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया कि झा0रा0बि0कॉ0लि0 के लिए सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने वाले सुरक्षा कम्पनी से सुरक्षा कर्मचारी लेकर काम चलाया जाय तथा एक माह के अन्दर जिला बल से भी 1–4 सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त कराया जाये।

5) **कार्य बल** – गोदाम में प्रभारियों के अतिरिक्त बॉक्सों की निकासी एवं लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मी तथा कम्प्युटर ऑपरेटर कार्य बल के रूप में रहेगा।

6) **संधारण होने वाली पंजियाँ** –

क) भण्डार पंजी
ख) आगत पंजी (होलोग्राम के लिए)
ग) निर्गत पंजी (होलोग्राम के लिए)
घ) लॉगबुक – सुरक्षा प्रहरी के पास रहेगा, जिसमें भण्डागार खुलने का समय दर्ज होगा।
ड़) पत्रों की आगत निर्गत पंजी
च) रोकड़ पंजी
छ) उपस्करों की भण्डार पंजी

7) होलोग्राम निर्गत करने की प्रक्रिया :–

क) कम्पनी के प्रतिनिधि एवं उत्पाद अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से OFS वज्रगृह के प्रभारियों को भेजा जायेगा। गोदाम प्रभारी महाप्रबंधक (संचालन) से sanction seek करायेंगे। तत्पश्चात गोदाम प्रभारियों के द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधि को होलोग्राम आपूर्ति कराया जायेगा।

ख) OFS प्राप्त होने पर महाप्रबंधक (संचालन) 48 घंटे के अन्दर अनुमोदन (sanction) कर online/manual वज्रगृह में भेजेंगे।

ग) गोदाम प्रभारी OFS अनुमोदन हेतु भेजने से पहले कम्पनी प्रतिनिधियों से उनको पूर्व में निर्गत होलोग्राम का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा आवश्यकता का आकलन कर OFS की अनुशंसा करेंगें। 'क', 'ख', 'ग' में वर्णित प्रक्रिया को एन0आई0सी0 की सहायता से सोफ्टवेयर विकसित करने का भी निर्णय लिया गया।

8) रख–रखाव – गोदाम में अग्निशामक की व्यवस्था, बीमा, सी0सी0टी0भी0 आदि की व्यवस्था की जायेगी।

9) निरीक्षण – निरीक्षण के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को शक्ति प्रदान की जायेगी। सचिव, आयुक्त उत्पाद, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची के अतिरिक्त महाप्रबंधक (संचालन), महाप्रबंधक (वित्त), उपायुक्त उत्पाद (मु0), उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची हर तीन माह पर निरीक्षण करेंगे।

10) वित्तीय प्रबन्धन –

क) Indian Security Press, Nasik को कुल मद्रित होलोग्राम के विरूद्ध प्राप्त विपत्र और भौतिक सत्यापन के आधार चेक/ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

ख) नासिक से राँची परिवहन पर होने वाले खर्च का वित्तीय भार भी झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वहन किया जायेगा।

ग) होलोग्राम के मुद्रण में परिवहन में लागत खर्च की कुल राशि का अनुमानित भार होलोग्राम प्राप्त करने वाली कम्पनियों पर डाला जायेगा।

घ) आकस्मिक व्यय में आवंटित राशि की उपयोगित झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देश के आलोक में किया जायेगा। माह के प्रथम सप्ताह में गोदाम प्रभारी को इसका उपयोगित देना होगा।

ड़) नासिक में प्राप्ति का भार Indian Security Press, Nasik द्वारा मुद्रित होलोग्राम नासिक में ही हस्तगत करया जायेगा, जिसके लिए गोदाम प्रबन्धक/प्रतिनियुक्त उत्पाद पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

च) मार्गीय सुरक्षा – होलोग्राम के सुरक्षित परिवहन के लिए जिला बल से 1–4 बल प्राप्त किया जायेगा, जो राँची लौटने तक प्राप्ति दल के साथ प्रतिनियुक्त रहेगें।

छ) सशस्त्रबल की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक (संचालन), झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉपोरेशन लि0 के द्वारा SSP राँची को अधियाचना भेजा जायेगा।

अन्त में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

11-03-15	11/3/15	11/3/15	
श्री राजेन्द्र कु0 सिंह उपायुक्त उत्पाद (मु0)।	श्री कमलाकान्त गुप्ता, महाप्रबंधक (वित्त)	श्री रणजीत कुमार सिन्हा महाप्रबंधक (ऑपरेशन)	डॉ0 सुनील कुमार सिंह सचिव–सह–आयुक्त उत्पाद–सह–प्रबंध निदेशक।

स्टॉक पंजी का प्रपत्र

पैकेट की क्रम संख्या	प्राप्ति की तिथि	होलोग्राम की संख्या	किस हालत में प्राप्त हुई	कुल प्राप्त होलोग्राम की संख्या	प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

गोदाम से होलोग्राम वितरण

प्राप्त करने वाले कम्पनी का नाम	पैकेट की क्रम संख्या	वितरण की तिथि	निर्गत होलोग्राम की संख्या	शेष होलोग्राम की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

फार्मों की सूची

1. रोकड़ बही
2. प्राप्तियों का पंजी
3. वितरण का पंजी
4. स्टॉक पंजी

. निर्गत–पंजी
6. आगत–पंजी
7. उपयोगिता–पंजी

लेखों का मासिक विवरण

गोदाम :–

क) किराया
ख) एकरारनामा
ग) अभिरक्षा (बीमा / अग्नि / चोरी / डकैती / बलगरी)

गोदाम के प्रभार / अनुपस्थिति आदि प्रावधान

होलोग्राम का भण्डार पंजी

होलोग्राम प्राप्ति पंजी

क्रम संख्या	तिथि	No of Packets	Total No. of Holograms	होलोग्राम प्राप्त कराने वाले का हस्ताक्षर	होलोग्राम प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर	होलोग्राम प्राप्त कराने वाले संख्या का पत्र संख्या दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

होलोग्राम का भण्डार पंजी

क्रम संख्या	तिथि	प्रारम्भिक शेष होलोग्राम की संख्या		प्राप्त होलोग्राम की संख्या		कुल होलोग्राम की संख्या		लेखापाल लिपिक का हस्ताक्षर	प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
		No. of Packet	No. of Hologram	No. of Packet	No. of Hologram	Total No. of Packet	Total No. of Hologram		
1	2	3		4		5		6	7